

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/16/4/2016-ईएमएस

दिनांक : 27 फरवरी, 2018

सेवा में,

1. अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नागवारा
बाहरी रिंग रोड, बंगलौर, 560045
कर्नाटक
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड
पी.ओ. ईसीआईएल, हैदराबाद-500062
आन्ध्र प्रदेश।

विषय : वीवीपीएटी के लिए थर्मल पेपर रोल एवं बैटरी पैक की आपूर्ति और वीवीपीएटी की एफएलसी - उसका मूल्य निर्धारण करना - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर और भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, हैदराबाद, द्वारा वीवीपीएटी के लिए सप्लाई किए गए थर्मल पेपर रोल एवं बैटरी पैक का मूल्य निर्धारण करने के लिए गठित की गई दर निर्धारण समिति की सिफारिश पर, आयोग ने वीवीपीएटी के लिए थर्मल पेपर रोल एवं बैटरी पैक और वीवीपीएटी की एफएलसी का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया है।

1. वीवीपीएटी के लिए प्रति बैटरी पैक रु.1525/-(एक हजार पांच सौ पच्चीस रूपए मात्र) (जीएसटी एवं परिवहन को छोड़कर)	फर्मों द्वारा जीएसटी एवं परिवहन प्रभार का दावा वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा।
2. वीवीपीएटी के लिए प्रति थर्मल पेपर रोल रु.480/- (चार सौ अस्सी रूपए मात्र) (जीएसटी एवं परिवहन को छोड़कर)	
3. परीक्षण प्रभार (वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच), प्रति वीवीपीएटी रु.160/-(एक सौ साठ रूपए मात्र) की दर से।	फर्मों द्वारा टीए, डीए, भोजन, आवास और वाहन प्रभारों का दावा वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा।

2.उपर्युक्त प्रभार 23 फरवरी, 2018 से लागू हैं।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)

अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/16/4/2013-ईएमएस

दिनांक : 25 मार्च, 2017

सेवा में,

1. अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नागवारा
बाहरी रिंग रोड, बंगलौर, 560045
कर्नाटक।
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड
ईएमएसडी, ईसीआईएल, ईवीएम निर्माण यूनिट
पोस्ट- एससीएल हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश - 500062

विषय : इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन - ईवीएम के प्रशिक्षण/जांच प्रभार-निर्वाचन के दौरान प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता-
तत्संबंधी।

महोदय,

ईवीएम के लिए प्रशिक्षण/जांच प्रभारों के पुनरीक्षण के संबंध में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का पत्र संख्या 5870/एमसीएस/ईवीएम/340, दिनांक 5-12-2012 और ईसीआईएल का पत्र संख्या ईसीएचओ/ईएमसीडी (एम)/20/भारत निर्वाचन आयोग-23/12-13/958, दिनांक 01-12-2012 के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग के पत्र सं. 51/8/16/4/2010 - ईएमएस, दिनांक 13 जनवरी 2011 के अधिक्रमण में, आयोग ने निम्नलिखित प्रकार से प्रभार निर्धारित किए हैं:-

क्रम सं.	विवरण	स्वीकृत दरें
1.	इंजीनियर शुल्क (निर्वाचनों के दौरान प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता)	रु.4000/- प्रति दिन+ वास्तविकता के आधार पर टीए, डीए, भोजन, आवास और वाहन प्रभार
2.	परीक्षण प्रभार (ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच)	प्रति ईवीएम रु.180/- (सीयू एवं बीयू)+वास्तविकता आधार पर टीए, डीए, भोजन, आवास और वाहन प्रभार

उपर्युक्त प्रभार 19 मार्च, 2013 से लागू हैं

भवदीय,

(दिलीप के. वर्मा)

अवर सचिव

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना, रिकॉर्ड एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अग्रेषित।